208

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

## जिला रीवा (म0प्र0)

R 5305-II/16   Rs 801-

शीला पुत्री संत कुमार दुबे, उम्र 33वर्ष, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0) ———अपीलार्थी

**बनाम**

1— श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व0 भगवानदास ताम्रकार,

2— प्रहलाद ताम्रकार तनय स्व0 भगवानदास ताम्रकार

दोनो निवासी जानकी पार्क लोहिया मार्ग, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3— संत कुमार दुबे तनय वंशगोपाल निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

4— अशोक कुमार तनय संत कुमार दुबे, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) ———रेस्पाडेन्टगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के अपील प्रकरण क0–94/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक <u>12/05/16</u> अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता <u>सन् 1959 ई0</u>

श्री. कामता प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रस्तुत 08-7-16 ... कोर्ट रीवा

मान्यवर,

## <u>निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–</u>

1— यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5305–दो/2016 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–5–2017 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 94/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–5–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि वर्ष 2003 के पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बटवारा हुआ था। तहसीलदार के प्रकरण कमांक 37/अ–27/02–03 में पारित आदेश दिनांक 17–7–03 के द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती विकय के 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। इसके बीच वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र से अशोक कुमार द्वारा कय की जा चुकी है। हितबद्ध व्यक्ति को बिना पक्षकार बनाये किये गये बटवारा में आंशिक संशोधन करना न्यायोचित नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि सम्पत्ति का पारिवारिक विभाजन जरिये रजिस्टर्ड बटवारा विलेख से हो चुका था इसलए राजस्व न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन नहीं कर सकता है। विभाजन में स्वत्व का प्रश्न अंतरविलोकित है तो | |

स्वत्व का निर्धारण का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अपर आयुक्त द्वारा इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील को स्वीकार की है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य